OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur/ 143 **Dated:-** 07/07/11

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sub: Forwarding of A.R. No. 77/11-12 on the accounts of Nagar Panchayat, Koath.

Sir,

Audit Report No **77/11-12** on the accounts of **Nagar Panchayat, Koath** for the period from **2007-08** to **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

(S.N.Sharma)
Sr.Audit Officer/Surcharge

Encl: - As above

(54)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः— 77/2011—12

नगर पंचायत, क्वाथ वर्ष 2007—08 से 2009—10

प्रस्तावना :—

1.नगर पंचायत क्वाथ के लेखाओं वर्ष 2007—08 से 2009—10 का नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, पटना कार्यालय के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 28.01.11 से 5.02.11 की अवधि (कुल 7 कार्य दिवस) में किया गया।

2. प्रशासन

क0 सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
(1)	श्री जमालुद्दीन खॉ	01.04.07 से 13.06.07
(ii)	श्री धर्मेन्द्र चौधरी	14.06.07 से 31.03.10

क0 सं0	उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
(1)	श्री विपिन चौधरी	01.04.07 से 13.06.2007
(ii)	श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह	14.06.07 से 31.03.10
3.	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	
(1)	श्री गिरजा नन्द कापड़ी	1.04.07 से 9.08.07
(ii)	श्री सुधीर कुमार, अंचल पदाधिकारी, देवट	10.08.07 से 30.10.07
(iii)	धर्मेश कुमार सिंह अंचल पदाधिकारी विक्रमगंज	31.10.07 से 7.05.08
(iv)	श्री कुमार सिद्धार्थ अंचल पदाधिकारी —सह— प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवट	8.05.08 से 31.03.10

3.लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्रः

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये वैसे अभिलेख जिसकी नमूना जॉच की गई तथा वैसे अभिलेख या तो संधारित नही थे या उपलब्ध नहीं कराये गये की सूचि क्रमशः विवरणी I एंव II मे प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई हैं।

4 पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनः—

विगत एंव अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन अनेको आग्रह व स्मारो के वावजूद लेखा परीक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में व्याप्त आपत्ति कंडिकाओ का निपटारा स्थल पर नहीं किया जा सका तथा लेखा परीक्षा कें उदेश्य का पतन हुआ ।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से यह आग्रह किया जाता है कि विगत एवं अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो मे बकाया आपत्ति कंडिकाओ का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जाय तथा उसे स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना को निपटारा हेतु भेजने का कदम उठाया जाय।

5 आन्तरिक लेखा परीक्षाः—

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में वर्णित प्रावधानानुसार राज्य सरकार अथवा नगरपालिका बिहित तरीके से नगरपालिका के दिन – प्रतिदिन के लेखओ का आन्तरिक जॉच कर सकता है परन्तु उपरोक्त अधिनियत के प्रावधान के आलोक में नगर पंचायत द्वारा कोई आन्तरिक जॉच नही किया गया। फलतः नगर पंचायत के लेखाओं के नमूना जॉच में कई वित्तिय अनियमिताएँ परिलक्षित हुई जिसका रूपांकन प्रतिवेदन के अगले कंडिकाओ में किया गया है।

यदि नगर पंचायत द्वारा आन्तरिक लेखाओं का जॉच कराया जाता तो वर्णित वितिय अनियमिताओं से बचा जा सकता था। अतएव नगर पंचायत के प्राधिकारियों का ध्यान लेखाओं पर नियमित आन्तरिक जॉच बहाल करने हेंतु आकर्षित किया जाता है ताकि वैसी अनियमिताएँ की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके।

6. महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धी

कम संख्या	कंडिका संख्या	कंडिका का विवरण	मुद्रा मूल्य
1	8(ii)	नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु अनुदान जमा (Blocked)	28.88
2	8(iii)	आलू प्याज का फसल क्षति – पूर्ति हेतु अनुदान वेकार जमा (Blocked)	0.93
3	13	शिक्षा उपकर एंव स्वास्थ्य उपकर की संग्रह राशि राज्य सरकार के खाता मे जमा नहीं किया गया	0.76
4	14	मोबाइल टावरों पर सम्बन्धित कर की वसूली नही करने से नगर पंचायत को राजस्व क्षति	21.00
5	15	वैट की कटौती नहीं करना	1.20
6	16	स्वामित्व तथा वैट की कम कटौती करने से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति	0.26
7	17	स्वामित्व व वैट तथा आयकर की कटौती की गई राशि सरकार के खाता में जमा नहीं किया गया	2.59
8	19(i)(ii)(iii)	अधिक एव अनियमित भुगतान	0.93

7 अधिदृश्य

नगर पंचायत की निधि सरकार के अनुदान एवं स्व राजस्व से सम्पोषित है। नगर पंचायत की निधि को तीन विभिन्न बैकों में रखा गया तथा बैक खातावार रोकड़ बही का संधारण किया गया । रोकड़ बही के अनुसार नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति का संव्यवहार 2007–08 से 2009 –10 वर्षान्तर्गत निम्न प्रकार है:

(1) रोकड़ पंजी (मध्य बिहार ग्रमीघ बैक, क्वाथ लेखा संख्या–68)

कम स0	विवरण	2007–08(₹ में)	2008–09(₹ में)	2009–10(₹ में)	अभियुक्ति
1	प्रारम्भिक शेष	4,82,516	20,691	10,77,163	
2	प्राप्तिः–				
I अनुदानः–					
(क)	विविध मद	54,406	15,00,000		

52

(ख)	द्वादश वित्त आयोग	–	2,58,126		
(ग)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	–	8,51,729	17,76,612	
(घ)	कबीर अन्त्याष्टि योजना	–	36,000	2,03,000	
(च)	फसल क्षति अनुदान (आलू प्याज हेतु)	–	–	92,713	
II स्व राजस्व (न0 पं0)		91,987	2,05,503	72,700	
(I+II योग)		1,46,393	28,51,358	21,45,025	
3	कुल प्राप्ति(1+2)	6,28,909	28,72,049	32,22,188	
4	व्यय (योजना व गैर योजना)	6,08,218	17,94,886	11,64,550	
5.	अंत शेष (3–4) योजना	20,691	10,77,163	20,57,638	अंत शेष का विश्लेषण किया गया
6.	तथैव बैक पास बुक विवरणी	52,029	11,07,882	21,18,505	
7.	अन्तर	31,338	30,719	60,867	अंतर समाधानित नहीं किया गया
(2)	रोकड़ पंजी (भारतीय स्टेट बैंक, सासाराम चालू खाता संख्या –01000050871)				
1	प्रारम्भिक शेष	7,39,434	17,30,336	69,15,394	
2	प्राप्तिः–				
I	अनुदानः–				
(क)	द्वादश वित्त आयोग	5,16,250		8,15,106	
(ख)	सड़क निर्माण / जीर्णोद्धार	–––	21,40,000	–––	
(ग)	प्रशासनिक भवन निर्माण	–––	28,87,875	–––	
(घ)	जलापूर्ति (विधायक मद)	8,82,720	–––	–––	
(च)	तालाब,घाट,पार्क आदि	–––	14,60,640	–––	
II	गैर योजना मदः–				
(छ)	कर्मचारियो का वेतन आदि	3,75,972	3,17,760	2,38,320	
(ज)	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का भत्ता आदि	–––	63,600	63,600	
(झ)	मैचिगं ग्रान्ट	–	–	120,558	
III	स्वराजस्व (स्टाम्प डियुटी)	6,58,794			
	I+II+III का योग	24,33,736	68,69,875	12,37,584	अंत शेष विश्लेषित नही किया गया नगर पंचायत के P.N.B खाता में
3	कुल प्राप्ति (1+2)	31,73,170	86,00,211	8152978	
4	व्यय	14,42,834	16,84,817	26,75,677 40,00,000	

5	अंतशेष (3–4)	17,30,336	69,15,394	14,77,301	स्थानान्तरण अंतर समाधनित नहीं किया गया
6.	तथैव बैक विवरणी के अनुसार	17,26,454	69,11,407	14,81,214	
7.	अन्तर	3,882	3,987	3,913	

(3) रोकड़ पंजी (पंजाब नेशनल बैंक दावत बचत खाता संख्या –010009113):–

कम स0	विवरण	2009–10	अभियुक्ति
1	प्रारम्भिक शेष	शून्य	नया लेखा खाता खोला गया।
2	प्राप्ति		
	अनुदान	40,00,000	भारतीय स्टेट बैंक खाता से स्थानान्तरण किया गया
	विविध/सूद	58,333	
	योग	40,58,333	
3	कुल प्राप्ति(1+2)	40,58,333	
4	व्यय	6,07,200	
5	अंत शेष	34,51,133	
6.	अंतशेष तथैव बैंक पास बुक/विवरण	अनुपलब्ध	

उपयूर्क्त रोकड़ पंजी के आगे अभियुक्ति फलक में दर्शायी त्रूटियों का निदान किया जाय।

8. सरकारी अनुदानः–

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके आभाव में वर्ष के प्रारम्भ में शेष अव्ययित अनुदान राशि, वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदाल व उस पर ब्ययित राशि तथा वर्षान्त शेष अब्ययित अनुदान राशि की वास्तविक स्थिति का अभिनिश्चय नहीं किया जा सका। हालॉकि उपलब्ध रोकड पंजियो से नगर पंचायत को कुल 1,31,54,387 रूपये का अनुदान सरकार से प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त अनुदान (राशि ₹ में)
2007–08	18,29,348
2008–09	80,15,730
2009–10	33,09,309
योग ₹	1,31,54,387

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट I पर अंकित)

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

(1) अनुदान पंजी का संधारण तत्काल प्रभाव से किया जाय जिससे अनुदान की वॉछित ऑकड़ो की जानकारी प्राप्त हो सके।

(ii) बिहार सरकार के पत्रांक (न0 वि0 एवं आ0 विभाग पटना) 4533 दिनांक 29.08.08 द्वारा नगर पंचायत को मार्च, 2009 में नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 28,87,875 रूपयें का अनुदान प्राप्त हुआ

परन्तु, भवन निर्माण का कार्य आज तक प्रारम्भ ही नही हुआ। फलतः अनुदान की सम्पूर्ण राशि अभी तक (दिनांक 4.02.11) नगर पंचायत निधि में बेकार पड़ी हुई हैं। यह निधि का जाम (Bloked) है तथा अनुदान के विशेष उदेश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। भवन निर्माण में अनुदान राशि खर्च नही होने कारण भवन निर्माण हेतु जमीन की अनुपलब्धता बतायी गई। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तत्काल प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु जमीन प्राप्त करने का प्रयास किया जाय अन्यथा अनुदान की आवश्यकता तत्काल न हो उसे स्वीकृति पदाधिकारी को वापस किया जाय।

(iii) सरकार से चेक संख्या 219627 दिनांक 11.02.10 को आलु, व्याज के फसल क्षति – पूर्ति हेतु 92,713 रूपये का अनुदान फरवरी, 2010 में प्राप्त हुआ। परन्तु,उस पर कोई व्यय 31.03.10 तक नही किया गया तथा सम्पूर्ण अनुदान राशि नगर पंचायत निधि में अभी तक (दिनांक 4.02.11) बेकार पड़ी हुई है। व्यय नही करने का कोई कारण लेखा परीक्षा में नही बताया गया। अगर इसकी आवश्यतता हो तो व्यय किया जाय अन्यथा इसे स्वीकृति प्राधिकारी के पास वापस किया जाय।

(iv) प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नही दिखाया गया।

9. रोकड़ पंजी के संधारण में त्रुटियॉः–

रोकड़ पंजी का संधारण सही ढंग से नही किया गया। उसके संधारण में निम्नांकित त्रुटियॉ प्रदर्शित हुईः

(i) रोकड़ बही के व्यय प्रभाग मे व्यय का व्योरा नहीं लिखा गया सिर्फ प्राप्तकर्त्ता का नाम लिखा गया जिससे व्यय का प्रयोजन प्रदर्शित नही हो सका।

(ii) अभियुक्ति फलक मे व्यय का न तो वर्गीकरण किया गया और न ही व्यय का लेखा शीर्ष लिखा गया।

(iii) रोकड़ अंतशेष का न तो विशलेष किया गया और न ही बैक पासबुक/ विवरणी से समाधान ही किया गया।

(iv) वर्ष के अन्त में प्राप्ति एवं व्यय का वार्षिक विवरणी माहवार नही बनाया गया।

(v) रोकड़ बही के प्राप्ति प्रभाग में चेक/ बैंक डॉफट द्वारा बैक में जमा रकम के संग्रहोपरान्त बैक चार्ज की कटौती राशि को व्यय प्रभाग में दर्शाते हुए अभियुक्ति फलक में संदर्भित नही किया गया, जिसके अभाव में वास्तविक जमा की स्थिति नही ऑकी जा सकी।

अतः उपर वर्णित रोकड़ बही की त्रुटियों को दूर करने का आवश्यक कदम उठाया जाय ताकि इसकी पुनरावृति आगे न हो सके।

10. <u>भयावह एंव अपकारक व्यापार</u> :–

भयावह एवं उपकारक व्यापार का मॉग, वसूली तथा बकाया की स्थिति निम्नांकित हैः

कम सं०	विवरण	2007–08(₹में)	2008–09(₹में)	2009–10(₹में)	अभियुक्ति
1	बकाया मॉग	12,625	12,825	12,950	
2	चालू मॉग	1,180	905	755	
3	कुल मॉग	13,805	13,730	13,705	
4	वसूली	980	780	800	
5	शेष बकाया	12,825	12,950	12,605	
6	%वसूली	7.09%	5.68%	5.83%	

उपर्युक्त सार से यह विदित कि भयावह एव अवकारक व्यापार से संबंधित रकम की वसूली बहुत ही कम है। इसकी वढोतरी के लिये ठोस कदम उठाया जाय।

11. संग्रह राशि जमा नहीं:—

एच0 रसीद द्वारा संग्रह राशि के लेखा से यह विदित हुआ कि कुल 344 रूपये की वसूली श्री जय राम चौधरी से दिनांक 6.07.09 को की गई परन्तु उसकी प्रविष्टि रोकड़ पंजी में नही की गई जिसके फलस्वरूप यह राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं हो सकी। विवरण निम्नांकित है:—

कम0 स0	रसीद स0	तिथि	राशि(₹में)	अभियुक्ति
1	1045	6.07.09	320	
2	1046	तथैव	24	
		योग ₹	344.00	

344 रूपये की वसूली सम्बन्धित कर समाहर्त्ता/उत्तरदायी व्यक्ति से की जाय तथा नगर पंचायत की निधि मे जमा किया जाय साथ ही इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखया जाय।

12 बाजार डाक बन्दोबस्ती की शेष राशि की वसूली नही की गई:—

श्री पारसनाथ चौधरी को बाजार बन्दोबस्ती का अधिकार वर्ष 2008—09 के लिये 87,653 रूपये (85,100 +3% मुद्रांक शुल्क रूपया 2553) में दिया गया जो कार्यालय आदेश 24308 के अनुसार सम्पूर्ण डाक राशि दिनांक 30.06.08 तक जमा करना था परन्तु श्री चौधरी द्वारा दिनांक 31.05.09 तक कुल 86,530 रूपये ही जमा किया गया तथा शेष 1,123 रूपये बकाया रह गया। वसूली का विवरण निम्नांकित है:—

बन्दोबस्ती का विवरण	डाक की अवधि	डाक राशि	वसूली गई राशि का विवरण			शेष बकाया
			M.RNo	तिथि	राशि (₹में)	राशि
बाजार बन्दोबस्ती	2008—09	87,653	78	24.03.08	4,100	
			79	7.04.08	39,730	
			91	15.12.08	30,000	
			109	31.05.09	12,700	
				योग ₹	86,530	1,123

कार्यालय आदेश (दिनांक 24.03.08) के वावजूद डाक राशि दिनांक 30.06.08 तक जमा नही किया गया बल्कि जमा का सिलसिला दिनांक 31.05.09 तक चला फिर भी 1,123 रूपये बकाया अभी तक रह गया जो कार्यादेश का उल्लधन है। बकाया राशि 1,123 रूपये श्री धर्मेन्द्र चौधरी अध्यक्ष ने दिनांक 3.05.09 तक देने की बात की थी परन्तु अभी तक (दिनांक 4.02.11) बकाया जमा नही किया गया। अतः शेष बकाया राशि 1,123 रूपये की वसूली की कार्रवाई सम्बन्धित डाककर्त्ता/उत्तरदायी व्यक्तियो से तत्काल किया जाय तथा वसूली उपरान्त उसे नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

13 शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली राशि सरकार के खाता में जमा नहीं किया गया :—

वर्ष 1998—99 से 2009—10 तक कुल 85011 रूपये की वसूली शिक्षा उपकर मद में ₹ 42538 एवं स्वास्थ्य उपकर मद मे ₹ 42473 की गई। परन्तु, 10 प्रतिशत संग्रह चार्ज काटकर शेष 76,510 रूपये राज्य सरकार

के सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में जमा नही किया गया तथा सम्पूर्ण राशि नगर पंचायत निधि में पड़ी हुई है। फलतः राज्य सरकार को उपयुर्क्त राजस्व से बंचित रखा गया। विवरण निम्नांकित हैः–

कम स0 i	वर्ष ii	शिक्षा उपकर की वसूली राशि iii	स्वास्थ्य उपकर की वसूली राशि iv	अभियुक्ति
1	1998–99	926	926	
2	1999–2000	1,361	1,361	
3	2000–01	967	968	
4	2001–02	3,806	3,806	
5	2002–03	7,968	7,968	
6	2003–04	5,252	5,187	
7	2004–05	शून्य	शून्य	संग्रह शून्य का कारण बताया जाय।
8	2005–06	8,699	8,699	
9	2006–07	3,869	3,869	
10	2007–08	5,814	5,814	
11	2008–09	3,876	3875	
12	2009–10	शून्य	शून्य	संग्रह शून्य का कारण बताया जाय।
	योग–₹	42538	42473	

कुल योग (iii+iv)= ₹ 42538+₹42473=₹85011

10% संग्रह चार्ज ₹ 8501.00

सरकार की शुद्ध भुगतेय ₹ 76510

शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर का शुद्ध भुगतेय राशि कुल 76,510 रूपये को राज्य सरकार के सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में अविलम्ब जमा करने का ठोस कदम उठाया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

14 टेलिफोन/मोबाइल टावरों से संबंधित कर की वसूली नही करने से नगर पंचायत को राजस्व की क्षतिः–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 29.02.08 एवं दिनांक 6.06.08 को कमश मोबाईल कम्पनियो को प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक की कार्यावही की कंडिका संख्या 6 तथा नगर निगमों के नगर आयुक्तों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यावाही की कंडिका संख –12 के आलोक में निकाय क्षेत्र में अवस्थित टेलिफोन/ मोबाइल टावरो से प्रतिमीटर कम से कम 2000 रूपये प्रतिमीटर प्रतिवर्ष न्यूनतम दर पर ऑपबंधिक रूप से कर वसूली करने तथा अन्य जगहों से जानकारी प्राप्त कर अधिक दर निर्धारित करने का निदेश दिया गया। परन्तु नगर पंचायत के प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त निदेशानुसार नगर निकास क्षेत्र मे स्थित मोबाईल टावरो से निर्धारित दर पर कर की वसूली नही की गई तथा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के मोबाईल टावर नगर निकाय क्षेत्र मे खड़ा कर दिया गया जो नियमित नही है। सिटी मैनेजर द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मोबाईल टावरो की स्थिति निम्न प्रकार है

कम सं0	मोबाइल टावर के कम्पनी का नाम	अवस्थित स्थान पर मोबाईल टावर की उँचाई	स्थापित होने की तिथि	अवधि	कर राशि @ 2000रू प्रतिमीटर प्रतिवर्ष (₹ में)
1	वी0 एस0 एन0 एल0	30 मीटर	2002	2002 से 2010 (9 वर्ष)	5,40,000
2	एयल टेल	40 मीटर	2006	2006 से 2010 (5 वर्ष)	4,00,000
3	आइडिया	40 मीटर	2008	2008 से 2010 (3 वर्ष)	2,40,000
4	वोडा फोन	40 मीटर	2008	तथैव	2,40,000
5	एयल सेल	50 मीटर	2008	तथैव	3,00,000

47

6	टाटा डोकोमो	50 मीटर	2008	तथैव	3,00,000
7	रिलायन्स	40 मीटर	2010	एव वर्ष	80,000
				योग–₹	21,00,000

उपयुक्त मोवाइल टावरों पर कर कुल 21,00,000 रूपये की वसूली सम्बन्धित मोवाईल कम्पनियों से करने की कार्रवाई की जाय तथा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

15. मूल्य वद्धिर्त कर की कटौती नही करना:–

सामाग्री कय सम्बन्धित संचिकाओ के अवलोकन से यह विदित हुआ कि द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान से रोशनी व्यवस्थान्तर्गत सी0 एफ0 एल0 / सोलर लाईट की खरीद तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत डस्टवीन व टैक्टर टेलर (हाइड्रोलिक) की खरीद आंमत्रित निविदा/ कोटेशन के आधार पर की गई। परन्तु, न तो आपूतिकर्ताओ द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियत, 2005 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियम 2005 के नियम 28 की धारा 40 के अन्तर्गत वैट की कटौती नगर पंचायत द्वारा नही करने हेतु फार्म C-III जमा किया गया और न ही उसके अभाव में नगर पंचायत द्वारा देय वैट की कटौती श्रोत पर आपूर्ति विपत्रों से की गई बल्कि आपूत्तिकर्त्ता को वैट का भुगतान निम्न सामाग्री के मूल्य के साथ कर दिया गया ।

कम सं0	प्रमाणक स0 चेक स0	तिथि	भुगतान राशि (₹में)	आपूत्तिकर्त्ता का नाम एवं आपूर्ति विपत्र सं0/तिथि	कथित सामाग्री का विवरण	कीमत	देय वैट की कटौती @12½%
1	37/808855 (MBGB) 40/808858 (MBGB)	1.11.08 27.12.08	1,00,000 62,675 1,62,675	मेमर्सजे0 के0 इलेक्ट्रोनिक्स ब्रिकमगंज विपत्रसं0–/85/ 26.12.08	टाटा वी0 पी0 सोलर लाईट–3 सेट / 48200 प्रति सेट	1,44,600	18,075
2	41/808860 (MBGB) 43/808962 (MBGB)	17.11.08 6.02.09	1,50,000 83,437 2,33,437	पायोनिर टेडिग एण्ड इन्जीनिरियंग कम्पनी पटना। 1210/3.02.09	डस्टवीन–10 नग @ 14,800 प्रतिनग व्हील वैरो 5 नग @11,900 प्रति नग	1,48,000 59,500 2,07,500	25,937
3.	38/808856 (MBGB) 39/808857 (MBGB)	17.11.08 26.12.08	1,50,000 95,693 2,45,639	तथैव/विपत्र सं0 314 दि0 28.11.08	सी0 एफ0 एल0 (आरपेट) 80 नग @ 2150 प्रतिनग होमलाइट सोलर सिस्टम–1नग @ ₹ 46,000 प्रति नगे	1,72,000 46,000 200 2,18,200	27,275
						योग	71,287

4	1/615251 (PNB) 3/615253 (PNB) 5/615254 (PNB)	8.03.10 18.03.10 2.04.10	1,25,000 1,25,000 44,860 2,94,860	पायोनीर टेडिग एण्ड इंजिनियरिंग क0 पटना/ विपत्र सं0 124/6.04.10 पायोनीर टेडिग एण्ड इंजिनियरिंग क0 पटना/ विपत्र सं0 124/6.04.10 पायोनीर टेडिग एण्ड इंजिनियरिंग क0 पटना/ विपत्र सं0 124/6.04.1	सी0 एफ0 एल0(आरपेट) 90 नग @₹ 2150 फौगिग 1 सेट @₹ 68,600 प्रति सेट	1,93,500 68,600 2,62,100	32,762
5.	4/550557 एस0 बी0 आई0	3.12.07	4,08,200	दुर्गा इन्टरप्राईजेज विकमगंज/ विपत्र सं0 228/19.01.07	टेक्टर–1 स0 टेलर--1 स0	3,14,500 78,000 3,92,500	15,700
						कुल योग	1,19,749

वैट की राशि रू0 119749/– जो कटौती नही की गयी थी की वसूली सम्बन्धित आपूतिर्कताओं/ उत्तरदायी व्यक्तियो से कर सरकार के वाणिज्य–कर शीर्ष मे जमा किया जाय एवं इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

16. स्वामित्व (Royalty) तथा मूल्य वर्द्धित कर (VAT) की कम कटौती से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति एवं अभिकर्ता को अधिक भुगतान का लाभः–

द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान से कियान्वयनित योजनाओ के नमूना जॉच से यह ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य मे व्यवहृत लघु खनिजो व अन्य सामाग्रियो पर देय स्वामित्व एवं मुल्य वर्द्धित कर की कम कटौती श्रोत पर कार्य विपत्रो से की गई जिसके फलरूवरूप राज्य सरकार को उपर्युक्त मद में कुल 26,146 (3,822 + 22,324) रूपये के राजस्व की वित्तीय क्षति उठानी पड़ी तथा उतने ही समतुल्य राशि का अधिक भुगतान का लाभ सम्बन्धित अभिकर्ताओ को पहुँचाया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट II पर अंकित)

अतः राज्य सरकार को स्वामित्व व मुल्य वर्द्धित कर मद में हुई राजस्व क्षति कुल 26,146 (3,822+22,324) रूपये की भरपाई सम्बन्धित अभिकर्त्ताओ/ उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाय तथा उसे राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष कमशः 0853 एवं 0400 में जमा किया जाय। उपर्युक्त मद मे कम कटौती का कारण भी लेखा परीक्षा में नही बताया गया। अन्य पूर्ण योजनाओ में समरूप राजस्व क्षति की गणना अपने स्तर से किया जाय तथा वसूली की प्रकिया अपनाई जाय।

17. स्वामित्व, मूल्य वर्द्धितकर व आयकर की कटौती राशि राज्य सरकार व संघ सरकार के खाता में जमा नही किया गयाः–

नगर पंचायत के अंतर्गत कार्यान्वयनित पूर्ण योजनाओं के कार्य विपत्रों से स्रोत पर निर्माण कार्य में व्यवहत लघु खनिजों पर स्वामित्व , मूल्य वर्द्धित–कर एवं कृत कार्य पर आयकर की कटौती की गई। परन्तु, कटौती राशि को राज्य सरकार व संध सरकार के सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में जमा नही किया गया। फलतः राज्य सरकार व संध सरकार को कमश : 1,17,736 रूपये तथा 87,223 रूपये के राजस्व से बंचित रखा गया (विवरण परिशिष्ट III पर अंकित) सम्पूर्ण राशि अभी तक (दिनांक 4.02.11) नगर पंचायत की सम्बन्धित निधियों में बेकार पडी हुई है।

(45)

अतः स्वामित्व, मूल्य वर्द्धित कर एंव आयकर की कुल कटौती राशि कमशः 33,127 रूपये, 1,38,609 रूपये तथा 87,223 रूपये सम्बन्धित सरकार के राजस्व शीर्ष में तत्काल जमा करने का ठोस कदम उठाया जाय। साथ ही इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

18. कबीर अन्तेयष्टि योजना पर त्रुटियॉः–

राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयवित कबीर अन्येष्टि अनुदान योजना 2007 के अन्तर्गत वी0 पी0 एल0 परिवार के सदस्यों की मृव्यृ होने पर 1500 रूपये की अनुग्रह राशि अन्येष्टि के लिए दी जाती हैं। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक के अभिलेखों की जॉच के कम मे निन्नांकित अनियमिताएँ पाई गई

(1) चेक सख्या–808848 दिनांक 1.11.08 ईश्वर दयाल के नाम से काटा गया लेकिन इस नाम का कोई आवेदन उपलब्ध अभिलेख में नही पाया गया। अतः यह 1500 रूपये का भुगतान अनियमित हो गया जिसकी वसूली दोषी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

(ii) अन्त्येष्टि पंजी के पृष्ट संख्या 5 कमश 9 के अनुसार अजीत राम ने अपने पिता चैत राम की मृत्यृ 31.07.09 पर अन्त्येष्टि के लिये आवेदन दिया। परन्तु, उसकी राशि 1500 रूपये किसी व्यक्ति के अंगूठे के निशान प्राप्त कर भुगतान कर दिया गया जिसकी वसूली भी दोषी व्यक्ति से की जाय।

(iii) गणेश चौधरी ने अपने पिता राम नरेश चौधरी की अन्त्यष्टि हेतु (पृष्ठ 7 कमश 37 पर अंकित) आवेदन दिया। किन्तु, उसकी राशि अंकु कुमार को भुगतान किया गया । अंकु कुमार का सम्बन्ध मृतक परिवार से स्पष्ट करने तक 1,500 रूपये का भुगतान अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

(iv) अन्त्येष्टि के लिये निकासी की गई अग्रिम राशि को डाकधर/ राष्ट्रीयकृत बैक में रखने का प्रावधान है जबकि यह राशि मध्य बिहार ग्रामीण क्षेत्रिय बैक क्वाथ में रखी गई, जो प्रावधान के प्रतिकुल है ।

(v) एक अनुदान हेतु नगद मात्र 1500 रूपये ही एक बार वार्ड कमिशनर अथवा नगर निकाय कर्मचारी द्वारा निकासी कर रखा जाना है तथा इसके व्ययोपरान्त पुनः 1,500 रूपये की निकासी का प्रावधान हैं वैसी व्यवस्था न कर एक ही बार में 19000–20000 रूपये की अग्रिम निकासी की गई। दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

प्रमाणक सं0	तिथि	अग्रिम निकासी राशि	अभियुक्ति
15	1.09.09	20,000	
16	5.09.09	20,000	
19	31.10.09	20,000	
23	15.02.10	19,000	

परिरिस्थति विशेष को अगले लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

(vi) कबीर अन्त्येष्टि की राशि मृत्यु के दिन ही देने का प्रावधान है परन्तु भुगतान राशि के विरूद्ध कोई तिथि अंकित नही की गई। भुगतानित राशि के सामने तिथि अंकित करने का प्रयास किया जाय।

(vii) इस योजना के अन्तगर्त 19,500 रूपये का भुगतान बिना मृत्यु प्रमाण पत्र लिये किया गया जिसके अभाव में वास्तविक भुगतान का अभिनिश्चय नही किया गया (विवरण परिशिष्ट IV पर अंकित) उपयुर्क्त भुगतान के अवज मे मृत्यु प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में दिखाया जाय, तब तक कुल भुगतान 19,500 रूपये अंकेक्षण आपति के अन्तर्गत रखी जाती है।

19(1) अधिक एवं अनियमित भुगतान

(i)	योजना संख्या	2/2008–09 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)
(ii)	योजना का नाम	गंगटी पटेल के द्वार से सत्यव्रत चौधरी के धर होते हुए तालाब तक ईट करण सड़क निर्माण
(iii)	संवेदक का नाम	श्री चुन्नु पटेल

(iv)	प्राक्कलित राशि	₹ 2,51700
(v)	मापी पुस्त में दर्ज कार्य मूल्य	₹2,51,700(मापी पुस्त संख्या 2/08–09
(vi)	देय राशि	₹ 2,51,700
	कर कटौतीः–	
	स्वामित्व–760	
	वैट–10,069	
	आयकर 5,639	₹ (–)16,468
(vii)	भुगतये राशि	₹ 2,35,232
(viii)	भुगतान राशिः–	
	21.03.09–₹1,65,715	
	1.04.09–₹ 56,930	
	27.05.09–₹ 12582	₹ 2,35,230
(ix)	कार्य की स्थिति	पूर्ण

<u>लेखा परीक्षा टिप्पणी :–</u>

प्राक्कलन में सामाग्री पर कैरजे 15% सिर्फ बालू भराई तथा ईटकरण की राशि पर था जबकि मापी पुस्त में यह कृत कार्य के सम्पूर्ण राशि पर दर्शाकर संवेदक को भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप संवेदक को 12680 रूपये का अधिक एंव अनियमित भुगताना हुआ। विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया हैः–

मापी पुस्त के अनुसार कुल कार्य मूल्य जिसका भुगतान संवेदक को किया गयाः–

कम सं0	कार्य का विवरण	मापी	इकाई	दर	राशि (₹ मे)	संवेदक भुगतेय राशि	अभियुक्ति
(i)	सड़क मे मिट्टी भराई कैरेज के साथ 1K.M लीड	422.68M^3	M^3	110.60 प्रति M^3	46,748	46,748	
(ii)	मिट्टी की चपाई मानव द्धारा	30 मजदुर	प्रति मजदुर	89 प्रति मजदुर प्रतिदिन	2,670	2,670	
(iii)	लोकल बालू से सड़क भराई	71.04M^3	M^3	100.20 प्रति M^3	7,118	7,118	
(iv)	प्रथम श्रेणी ईट करण (Edge Soling) लोकल बालू के साथ	706.51M^2	M^2	181.40 प्रति M^2	1,28,960	1,28,960	
	जोड़ ईट की कीमत में बढोतरी	37,974 सं0	%	887.94% प्रतिभार	33,719	33,719	
	मजदुर	200	प्रति मजदुर	7.00 प्रतिमजदुर	1,400	1,400	
				योग ₹	2,20,615	2,20,615	
	जोड सम्ग्री पर कैरेज (सम्पूर्ण कार्य मूल्य पर I से IV तक)	15%			33,092	20,412	कैरेज 15% 1,36,078
	कुल योग ₹				2,53,707	2,41,027	
	जबकि प्राक्लन मे कैरेज 15% सिर्फ III+IV यानी 7,118+1,28,960 कुल ₹ 1,36,078 रूपये पर करने का प्रावधान था।						
	घटाव Penalty proposed				–2,000	–2,000	
	शुद्ध भुगतेय ₹				2,51,707	2,39,027	

अधिक भुगतान 12,680 रूपये (251707–2,39,027)

अतः सामग्री पर कैरेज 15% जोड़ने के बदले कुल कार्य मूल्य पर कैरेज जोड़ने के परिणामस्वरूप संवेदक को अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹ 12,680 की वसूली सम्बन्धित संवेदक / उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाय तथा इसे नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

19(II) अनियमित भुगतान

रोकड़ पंजी (मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, क्वाथ चालू खाता संख्या 68) के अवलोकन से यह विदित हुआ कि वर्ष 2007–08 में कुल 78,000 रूपये का व्यय नगर निकाय चुनाव, 2007 कार्य पर किया गया। यह नगर पंचायत के व्यय सीमा के अन्तर्गत नही आता है (नगर अधिनियत,2007 की धारा 75) तथा यह बिल्कुल अनियमित है। व्यय का विवरण निम्नांकित है

कम स0	प्रमाणक सं0	चेक संख्या	तिथि	राशि	भुगतान का विवरण	अभियुक्ति
1	4(MBGB)	728060	15.07.08	75,000	प्रखंड विकास पदाधिकारी दावत को नगर निकाय चुनाव 2007 के लिये अग्रिम भुगतान	समायोजन नहीं
2	49(तथैव)	722955	12.04.08	3000	मो0 अतर खॉ को चुनाव कार्य हुतु भुगतान	
			योग ₹	78,000		

अनियमित भुगतान ₹78,000 की वसूली सम्बन्धित अधिकारियो/ उत्तरदायी व्यक्तियों से करने का ठोस कदम उठाया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

19(III) अधिक भुगतान

योजना का नाम	नगर पंचायत क्वाथ के अन्तगर्त विमिन्न स्थलों पर 125 mm x40mm इंडिका मार्क III चापाकल का निमार्ण
निधि	विधायक निधि, संवेदक – श्री विजय कुमार चौधरी
स्वीकृत राशि	₹ 8,82,720 (पत्रांक 856 दि0 21.02.08
प्राक्कलित राशि	₹ 8,82,720 एकरारनामा सं0–1/08–09
मापी पुस्त के अनुसारः–	
कार्य मूल्य	₹8,70,305
भुगतान की गई राशि	
संवेदक	₹8,16,027
वैट 4%	₹34,774
आयकर 2.24%	₹ 19496.00 ₹ 8,70,297

<u>लेखा परीक्षा टिप्पणी</u>

प्राक्कलन मे चापाकल के लिये ट्रान्सपोटेशन चार्ज 100 रूपये प्रति चापाकल का प्रावधान किया गया जबकि मापी पुस्तक के पृष्ट संख्या 18 पर 200 रूपये प्रति चापाकल की दर से 24 चापाकल का ट्रान्सपोटेशन

चार्य 4800 रूपये दर्शाया गया तदनुसार संवेदक को भुगतान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप संवेदक को 2400 रूपये का भुगतान अधिक किया गया। अतः अधिक भुगतान 2400 रूपये की वसूली संबंधित संवेदक / उत्तरदायी व्यक्ति से की जाय तथा नगर पंचायत की निधि में जमा किया जाय।

20 पावती रसीद नही लिया गयाः—

भुगतान प्रमाणको के नमूना जॉच से यह ज्ञात हुआ कि महम्मद अतहर खॉ, रोकड़ पाल द्वारा 15,000.00 रूपये की निकासी मध्य विहार ग्रामीण बैंक, क्वाथ के चालू खाता 68 से चेक संख्या 728198 दिनांक 1.11.08 (प्रमाणक संख्या 22) द्वारा की गई तथा उसे छठ एंव दशहरा पूजा के अवसर पर सफाई कार्य हेतु लगाये गये मजदूरो को भुगतान किया गया परन्तु भुगतान के एवज में लगाये मजदुरो के पावती हेतु हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान नहीं लिया गया जिसके अभाव मे भुगतानित राशि की वास्तविकता की जॉच लेखा परीक्षा में नही की जा सकी।

अतः भुगतान की गयी राशि ₹15,000/— की वसूली रोकड़पाल से की जाय एवं अगले लेखा परीक्षा मे दिखलाया जाय।

21 लेखा परीक्षा का परिणामः—

लेखा परीक्षा का परिणात निन्नांकित है:—

(i) वसूली के लिये सुझायी गई राशि ₹ 258098/—

(ii) अंकेक्षण आपत्ती के अन्तर्गत रखी गई राशि ₹21000/—

(विवरण परिशिष्ट V पर अंकित)

22. कार्यपालक से वार्त्ता :—

लेखा परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण विन्दुओ पर कार्यपालक से समय—समय पर वार्त्ता किया जाय।

23.सामान्य अभियुक्तिः—

नगर पंचायत के लेखाओ का संधारण संतोषप्रद नही था। उसके संधारण में सुधार की आवश्यकता है। कार्यपालक द्वारा नियमित आन्तरिक जॉच तथा यथोचित पर्यवेक्षण के अभाव मे कई प्रकार की वित्तीय अनियमिताएँ पाई गई। महत्वपूर्ण अभिलेख यथा वार्षिक लेखा, बजट प्राक्कलन,अनुदान पंजी, अनुदान विनियोजन पंजी, अग्रिम पंजी, परिसम्पति पंजी आदि का संधारण नही किया गया। नगर पालिका अधिनियत में प्रावधान के वावजूद पेशाकर, मलकर भयावह एवं अवकारक व्यापार पर अनुज्ञा शुल्क का करारोपण नही किया गया।

उपयूर्क्त त्रुटियों मे सुधार व आवश्यक अभिलेखो के संधारण हेतु प्रभावकारी कदम उठाने की जरूरत है।

(महेश चौधरी)
आई0 पी0 ए0 आई0

No.L.A dt:

कार्यपालक पदाधिकारी,क्वाथ को अग्रासारित तथा आग्रह है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को वार्ड विशेष बैठक मे रखा जाय तथा इसका अनुपालक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाय।

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
(अधिभार)

No.L.A 143 dt: 07/07/11

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषितः

(i) जिला पदाधिकारी रोहतास

(ii) सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार,पटना

(iii) स० ले० प० अ० (अधिभार)

7/7/11

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
(अधिभार)

विवरणी - I

1. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच की गई की सूची (प्रतिवेदन की कंडिका नं० 3 पर संदर्भित)

क्रम०	अभिलेख का नाम	अभियुक्ति
1.	रोकड़ बही (म० बि० ग्रा० बैंक, [illegible] खाता नं०-68, भारतीय स्टेट बैंक, सासाराम खाता नं० 50871 एवं पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] खाता नं० 90113).	
2.	बैंक पास बुक नवीन	
3.	योजना पंजी एवं योजना अभिलेख (अंशतः)	
4.	भण्डार एवं अन्य [illegible] का [illegible] पंजी	
5.	सेवान्त [illegible] संचिकाएँ	
6.	भुगतान प्रमाणक (अंशतः)	
7.	सामग्री क्रय संचिकाएँ	
8.	[illegible] [illegible] लेखा	

[illegible]

विवरणी- II

ऐसे अभिलेख जो संधारित नहीं थे या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई की सूची (प्रतिवेदन की कंडिका सं. 2 पर संदर्भित)

क्रम सं.	विवरण	अभियुक्ति
1.	वार्षिक लेखा	
2.	बजट प्राक्कलन	
3.	अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोजन पंजी	
4.	अग्रिम पंजी एवं अग्रिम समायोजन प्रमाणक	
5.	कुछ औषधालय का लेखा	
6.	संपत्ति बन्दोबस्ती पंजी	
7.	पी० एफ० लेजर	
8.	वेतन पंजी	
9.	परिसम्पत्ति पंजी	
10.	स्टॉक एवं निर्गत पंजी (दवा स्टोर)	
11.	लॉग बुक (ट्रैक्टर)	
12.	स्टॉक एवं निर्गत पंजी (स्टेशनरी सामग्री एवं बिजली सामग्री)	
13.	सेवा पुस्तिका (कर्मचारी)	
14.	मासिक व्यय विवरण पंजी	
15.	उपादान एवं छुट्टी अभिलेख	
16.	उपयोगिता प्रमाण पत्र	
17.	स्वीकृत बल एवं कार्यरत स्थिति (कर्मचारी)	
18.	मोबाइल टावर की मांग पंजी	
19.	भौतिक जाँच प्रतिवेदन (स्थाई सामग्री)	
20.	जन्म-मृत्यु लेखा।	

ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ - I

18 (38)

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਦਾਨ ਬਾਰੇ [illegible]

(ਪ੍ਰਤਿਵੇਦਨ ਦੀ [illegible] 6.-8.2 ਸੰਦਰਭਿਤ)

ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਮਿਤੀ	ਲੜੀ ਸੰਖਿਆ	ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਮਿਤੀ	ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼	ਰਾਸ਼ੀ ₹	ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ
1	2	3	4	5	6
ਵਰ੍ਹਾ 2007-08					
[illegible]	1	ਚੈੱਕ ਸੰਖਿਆ - 196957 ਮਿਤੀ 19.3.07 ([illegible])	[illegible]	37,397	ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ([illegible] ਬੈਂਕ, [illegible] ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ-68)
[illegible]	2	ਚੈੱਕ ਸੰਖਿਆ - 216885 ਮਿਤੀ 17.12.07 ([illegible])	ਤਦੈਵ	15,804	ਤਦੈਵ
[illegible]	3	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ([illegible]) ਪੱਤਰ-5674 ਮਿਤੀ 19.12.07	[illegible] ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਦਾਨ	5,16,482	ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ([illegible] ਬੈਂਕ, [illegible] ਖਾਤਾ [illegible] - 520421)
[illegible]	4	ਤਦੈਵ ਪੱਤਰ 526 ਮਿਤੀ 24.1.08	[illegible] ਦੇ [illegible]	3,75,772	ਤਦੈਵ
	5.	ਪੱਤਰ-850 ਮਿਤੀ 21.2.08 ([illegible])	[illegible]	8,82,720	ਤਦੈਵ
				18,29,346	
ਵਰ੍ਹਾ 2008-09					
[illegible]	6	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ([illegible]) ਪੱਤਰ-1617 ਮਿਤੀ 27.3.08	[illegible] ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਦਾਨ	2,58,126	ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ([illegible] ਬੈਂਕ, [illegible] ਖਾਤਾ ਸੰ-68)
		ਚੈੱਕ ਸੰ 307442 ਮਿਤੀ 9.5.08	[illegible]	36,000	ਤਦੈਵ
[illegible]	7	ਚੈੱਕ ਸੰ 162660 ਮਿਤੀ [illegible]	[illegible] ਅਨੁਦਾਨ [illegible]	8,57,729	ਤਦੈਵ
[illegible]	8	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ([illegible]) ਪੱਤਰ-9836 ਮਿਤੀ 24.3.08	[illegible]	21,60,000	ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ([illegible] ਬੈਂਕ, [illegible] ਖਾਤਾ ਸੰ-520421)
	9.	ਤਦੈਵ ਪੱਤਰ-4583 ਮਿਤੀ [illegible]	[illegible]	28,84,575	ਤਦੈਵ
	10.	ਤਦੈਵ ਪੱਤਰ-4535 ਮਿਤੀ ਤਦੈਵ	[illegible] ਆਦਿ	63,600	ਤਦੈਵ
	11.	ਤਦੈਵ ਪੱਤਰ-3945 ਮਿਤੀ 11.12.08	[illegible] ਆਦਿ	3,17,760	ਤਦੈਵ
	12.	ਤਦੈਵ ਪੱਤਰ-57/03/08-09 ਮਿਤੀ 9.2.09	[illegible] ਆਦਿ	14,60,640	ਤਦੈਵ
				80,15,730	
				~~79,79,730~~	
ਵਰ੍ਹਾ 2009-10					
[illegible]	13.	ਚੈੱਕ ਸੰਖਿਆ-344748 ਮਿਤੀ 25.6.09	[illegible] ਯੋਜਨਾ	72,000	ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ([illegible] ਬੈਂਕ, [illegible] ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ-68).
	14.	ਚੈੱਕ ਸੰ 470473 ਮਿਤੀ 6.7.09 ([illegible])	[illegible] ਅਨੁਦਾਨ [illegible]	6,32,360	ਤਦੈਵ
	15.	ਚੈੱਕ ਸੰ-470909 ਮਿਤੀ 21.7.09	ਤਦੈਵ	2,20,825	ਤਦੈਵ
				9,25,185	

- ਜਾਰੀ

1	2	3	4	5	6
जनवरी 10	16.	चेक सं. 363979 दि. 14.1.10	[illegible] योजना	रु. 9,25,185 1,31,000	रोकड़ पंजी (मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, चालू खाता संख्या-68)
	17.	चेक सं.-603812 दि. 22.1.10	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	9,23,420	वही
	18.	चेक सं. [illegible] दि. 11.2.10	[illegible]	92,712	वही
	19.	[illegible] प्रमाणक 12 दि. 10.[illegible]	[illegible]	2,38,324	रोकड़ पंजी (भारतीय स्टेट बैंक, सामान्य चालू खाता सं. 50834)
	20.	वही प्रमाणक [illegible] दि. 10.9.09	[illegible]	5,16,250	वही
फरवरी 10	21.	वही प्रमाणक-133 दि. 17.2.10	वही	2,98,856	वही
	22.	वही प्रमाणक-30 दि. 19.3.10	[illegible]	63,600	वही
	23.	वही प्रमाणक-26 दि. 16.3.10	[illegible]	1,20,558	वही
				33,69,309	

ह०
(1.10)

परिशिष्ट II

36

चयनित योजनाओं में व्यवहृत ईंट, गारा, सीमेंट के [illegible]
(कोडेका क्र० 16 से संबंधित)

योजना का क्रमांक	योजना का नाम		व्यवहृत सामग्री का विवरण	मात्रा	कीमत	[illegible]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ड्रानस्र बिल आमोद				₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	
1	1/07-08 श्री अनंत रवि		ईंट	9,500	22,800	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			बालू	700 cft	5,600	90 cft	[illegible]								[illegible]
			सीमेंट	45 बोरा	10,350		[illegible]								
2	2/07-08	तदैव	ईंट	9,300	22,320	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			बालू	600 cft	4,800	90 cft	[illegible]								[illegible]
			सीमेंट	45 बोरा	10,350		[illegible]								
3	3/07-08	तदैव	ईंट	8,450	20,280	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			बालू	600 cft	4,800	90 cft	[illegible]								[illegible]
			सीमेंट	40 बोरा	9,200		[illegible]								
4	4/07-08	तदैव	ईंट	9,000	21,600	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			बालू	600 cft	4,800	90 cft	[illegible]								[illegible]
			सीमेंट	47 बोरा	10,810		[illegible]								
5	5/07-08	तदैव	ईंट	10,500	25,200	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			बालू	600 cft	4,800	90 cft	[illegible]								[illegible]
			सीमेंट	44 बोरा	10,120		[illegible]								
6	6/07-08	तदैव	ईंट	9,500	22,800	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			बालू	700 cft	5,600	90 cft	633								[illegible]
			सीमेंट	45 बोरा	10,350		[illegible]								

मुंदरा लिंग आयोग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									[illegible] 1,192			[illegible]	
7	7/07-08	अजहर खां	ईंट	10,600 / 9,570	23,100	20%	190	455	335	45%	1,172	1292	2,565
			कोयला	[illegible]	6,200	90.5%	579			1037	2,185		75,600/68,584
			बीजल	640	14,480	—	769				3,357		
8	8/07-08	तईद	ईंट	9,200	23,160	20%	184	514	157	45%	1,107	1,214	[illegible]
			कोयला	560	5,600	90.5%	327			1265	1,265		58,300/48,238
			बीजल	44 कोरा	10,120	—	511				2,372		
9	9/07-08	तईद	ईंट	9000	21,600	20%	150	580	[illegible]	45%	1,088	1109	1,155
			कोयला	560	5,600	90.5%	327	553		1254	1179		48,500/48,139
			बीजल	41 कोरा	9,150	—	477				2,267		
10	10/07-08	तईद	ईंट	9,200	22,081	20%	184	571	87	45%	1,020	1,212	1,128
			कोयला	480	4,800	90.5%	433			1254	1,265		48,307/48,300
			बीजल	44 कोरा	10,120	—	617				2,360		
11	11/07-08	तईद	ईंट	9,860	21,120	20%	76	522	88	45%	1,070	1,188	1,152
			कोयला	480	4,800	90.5%	433			1254	1,285		48,500/48,300
			बीजल	[illegible]	[illegible]	—	509				2,355		
12	12/07-08	तईद	ईंट	9,200	22,080	20%	184	522	96	45%	1,070	1,266	1,105
			कोयला	480	4,800	90.5%	433			1254	1,234		48,307/48,258
			बीजल	45 कोरा	10,350	—	617				2,360		

योग 3,557

योग 15,021

(34)

20/07-08	[illegible]	[illegible]	5,130	13,851	10%	103	393	98	4% / 12½%	634 / 749 / 1381	770	611	23,100/23,100
		[illegible]	320 [illegible]	2,000	96.5 [illegible]	290							
		[illegible]	26 [illegible]	5,980									
21. 21/07-08	[illegible]	[illegible]	5130	13,851	10%	103	392	101	4% / 12½%	634 / 749 / 1381	758	623	23,100/23,100
		[illegible]	320 [illegible]	2,000	96.5 [illegible]	290							
		[illegible]	26 [illegible]	5,980									
22. 22/07-08	[illegible]	[illegible]	5130	13,851	10%	103	393	98	4% / 12½%	634 / 749 / 1381	758	613	23,100/23,100
		[illegible]	320 [illegible]	2,000	96.5 [illegible]	290							
		[illegible]	26 [illegible]	5,980									
23. 23/07-08	[illegible]	[illegible]	5130	13,851	10%	103	393	102	4% / 12½%	634 / 749 / 1381	758	623	23,100/23,100
		[illegible]	320 [illegible]	2,000	96.5 [illegible]	290							
		[illegible]	26 [illegible]	5,980									
24. 24/07-08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,851	10%	103	393	98	4% / 12½%	634 / 749 / 1381	770	611	23,100/23,100
		[illegible]	320 [illegible]	2,000	[illegible]	290							
		[illegible]	26 [illegible]	5,980									

[illegible] 5,822

38,324

36,146